न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 35/2019 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

1. श्रीमती सन्तु बेवा भुवाना रेगर निवासी अरवड तहसील फुलियाकलां
2. सोहन पिता बालु रेगर निवासी अरवड तहसील फुलियाकलां
3. मु0 हरकू पुत्री बालु रेगर निवासी अरवड हाल निवासी भिनाय जिला अजमेर
4. मु0 उगमी पुत्री बालु रेगर निवासी अरवड हाल हुरडा जिला भीलवाड़ा
5. मु0 सीता पुत्री बालु रेगर निवासी अरवड़ हाल बडली बिजयनगर जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. उगमलाल पिता राजू रेगर निवासी अरवड तहसील फुलियाकलां
2. रामप्रसाद पिता राजू रेगर निवासी अरवड तहसील फुलियाकलां
3. बजरंगलाल पिता राजू रेगर निवासी अरवड तहसील फुलियाकलां
4. मु0 रोशनी पुत्री राजू रेगर पत्नि रतन रेगर निवासी बडली तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. मु0 मोहनी पुत्री राजू रेगर पत्नि प्रकाश रेगर निवासी भटेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. मु0 रतनी पुत्री राजू रेगर पत्नि मूलचन्द रेगर निवासी बाला का खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. नानूराम पिता केला रेगर निवासी अरवड तहसील फुलियाकलां
8. श्रीमान सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सांगरिया तहसील फुलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 31.05.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थीगण के ग्राम सांगरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा मे स्थित **आराजी खसरा नम्बर 3724 रकबा 0.37 है0, खसरा नम्बर 3525 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 3726 रकबा 0.41 है0, किता 03 कुल रकबा 1.13 है0** का प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण

पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम सांगरिया संवत 2072 से 2075** तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर **मौजा सांगरिया** मे स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की **आराजीयात किता 03 रकबा 1.13** हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस **500/– रूपये (अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र)** कायम किये जाते है जो प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकला मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज **दिनांक 31.05.2019** को सरे इजलास सुनाया गया।

(एम0पी0 नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फुलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला–भीलवाड़ा